फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 29.07.2025

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 132/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2025 अन्तर्गत धारा 137(2), 87 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त पुकार दिवाकर उर्फ हैप्पी पुत्र महिमाचन्द्र निवासी ग्राम पितौरा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01. पुकार दिवाकर उर्फ हैप्पी पुत्र महिमा चन्द्र निवासी ग्राम पितौरा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 13.06.2025 को वादी द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण वादी की पुत्री बहला-फुसलाकर भगा ले गये है । वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 132/2025 अन्तर्गत धारा 137(2) बीएनएस बनाम 01.हैप्पी पुत्र महिमाचन्द्र उर्फ कल्लू निवासी ग्राम पितौरा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ आदि 04 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में पीड़िता/अपहृता की बरामदगी करते हुए पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस के आधार पर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त पुकार दिवाकर उर्फ हैप्पी पुत्र महिमा चन्द्र निवासी ग्राम पितौरा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पुकार दिवाकर उर्फ हैप्पी उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त पुकार दिवाकर उर्फ हैप्पी से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने जुर्म से इकबाल करते हुए अपनी सफाई में अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया ।

अभियुक्त पुकार दिवाकर उर्फ हैप्पी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 132/2025 अन्तर्गत धारा 137(2), 87 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री नागेन्द्र सिंह
2. आरक्षी विजय कुमार
3. आरक्षी सचिन कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट – साइबर क्राइम फतेहगढ़

दिनांक - 29.07.2025

साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा थाना राजेपुर पर पंजीकृत अभियोग में आवेदक के 1,28,000/- रूपये आवेदक के खाते में वापस कराये गये।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर/क्राइम श्री अजय वर्मा के नेतृत्व में साइबर अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 76/2022 धारा 420 भा0द0सं0 व 66 आईटी एक्ट बनाम शुभम कुमार पुत्र नकुलराम निवासी कौंकर बाजार जात्राटांड थाना सदर रांची (झारखंड) व 05 अन्य अभियुक्त (सभी 06 प्रकाश में आये अभियुक्त) द्वारा वादी से लॉटरी निकलने का झांसा देकर फर्जी तरीके से लॉटरी के पैसे जमा किये थे। थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा फ्रॉड करने वाले खातों को फ्रीज कराकर माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 1,28,000/- रूपये आवेदक के खाते में वापस कराये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- साइबर अपराधियों द्वारा आवेदक से लॉटरी निकलने का झांसा देकर आवेदक के साथ फर्जी तरीके से लॉटरी के रूपये प्राप्त करने हेतु कुछ धनराशि जमा कराने के नाम पर करीब 12 लाख रूपये की साइबर ठगी की गयी।

बरामद धनराशि -

01. आवेदक श्री प्रमोदपाल पुत्र रामकृष्ण पाल निवासी डांडीपुर वदनपुर कनकापुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ के बैंक खाते में 1,28,000/- रूपये वापस कराये।

बरामद करने वाली साइबर क्राइम पुलिस टीम -

01.प्रभारी निरीक्षक श्री राघवेन्द्र तिवारी थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ मय टीम।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

- **साइबर अपराध के प्रति जागरूकता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकृत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें।**
- **सतर्क रहें , जागरूक रहें।**
- **साइबर क्राइम पुलिस उत्तर प्रदेश सदैव आपकी सेवा में तत्पर है।**